राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक – प.19(12)शिक्षा–2/19 जयपुर दिनांक 21.06.19

–::परिपत्र::–

प्रायः यह देखा गया है कि जिला कलक्टर/जिला परिषद्/एसडीएम एवं अन्य कार्यालयों में शिक्षक एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को मूल पदस्थापन स्थान के अतिरिक्त कार्य के लिए पदस्थापित किया हुआ है, जिसके कारण उनके मूल पद का कार्य प्रभावित होता है। शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त कार्यव्यवस्थार्थ लगे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने के संबंध में पूर्व में भी मुख्य सचिव महोदय एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/आदेशों के द्वारा निर्देशित किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार दस वर्षीय जनगणना, आपदा प्रबन्धन एवं चुनाव कार्यो के लिए शिक्षा विभाग के शिक्षकों की सेवाऐं ली जाती हैं। इस तरह के कार्यो के सम्पन्न होने के पश्चात भी शिक्षको को उनके मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्य मुक्त नहीं किया जाता है, जो किसी भी स्थिति में उचित नही है। वर्तमान में कई शिक्षक अपने मूल पदस्थापन स्थान से अन्यत्र गैर शैक्षिक कार्यो में कार्य व्यवस्थार्थ लगे हुए हैं जिसके कारण उनके मूल पदस्थापन स्थान का शैक्षिक कार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः शैक्षिक कार्यो हेतु की गई कार्यव्यवस्था के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षिक कार्यो में लगाए गये शिक्षको को तत्काल मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त करने हेतु समस्त जिला कलक्टर्स व सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता हैं, कि गैर शैक्षिक कार्यो हेतु अन्य विभागों में कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गये शिक्षको को उनके द्वारा एक माह तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा शिक्षक का माह जुलाई 2019 का वेतन आहरित नहीं किया जावेगा। इन आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्व भी अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

स्वीकृत पदों से कम पदस्थापित शिक्षको वाले विद्यालय के प्रभावी संचालन हेतु की गई शैक्षिक व्यवस्था पर उक्त निर्देश लागू नहीं होगें। इस स्थिति में पूर्व के विद्यालय में पर्याप्त पद होने पर औचित्य व उपयोग के आधार पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से ही शिक्षको को शैक्षिक व्यवस्थार्थ लगाया जा सकेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि शिक्षको को शैक्षिक व्यवस्थार्थ लगाए जाने के प्रस्ताव का औचित्यपूर्ण एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से परीक्षण कर ही आवश्यक प्रकरणो में अनुमति दी जाये।

निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें।

(डॉ. आर. वेंकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव,स्कूल शिक्षा

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा.शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर.....।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी .....।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी .....।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा.....
9. रक्षित पत्रावली।

21/6/19
(डॉ. राकेश यादव)
शासन उप सचिव